

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.10.2018 पत्र संख्या 2018 / ट्रांस सेल / एस एंड टी / संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में, रेलवे से सेवानिवृत्त हुए 01 समूह "ख"/ निजी सचिव-1 को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार सलाहकार के रूप में संविदा आधार पर पुनर्नियुक्त किए जाने का विनिश्चय किया है-

विभाग	पुनर्नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद
सामान्य प्रशासन	01	वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक के निजी सचिव-1

1. विस्तृत नियम और शर्तें संलग्न हैं।
2. आयु सीमा- पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी ।
3. मानदेय- पुनर्नियुक्ति होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी के मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.10.2018 तथा 20.12.2018 के पत्र क्रमांक 2018 / ट्रांस सेल / एसएस एंड टी / संविदा कर्मचारी में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा (अर्थात सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन (बेसिक + डीए) से पेंशन की राशि को निकालने के बाद की राशि) । इयूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में उनके पारिश्रमिक से आनुपातिक कटौती होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24.01.2020 (प्रातः 11.30 बजे तक) है। इच्छुक अधिकारी दिनांक 24.01.2020 को 12 बजे प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुंबई सीएसएमटी में साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित रहें । अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in देखें ।

मध्य रेल

